


शाला दर्पण के माध्यम से स्थायीकरण आवेदन की प्रक्रिया


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिक/अधिकारियों के स्थायीकरण आवेदन हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल प्रारम्भ किया गया है। भविष्य में विभाग के कार्मिकों/अधिकारियों के स्थायीकरण आवेदन ऑनलाइन ही किये जा सकेंगे एवं स्वीकृति आदेश भी इसी मॉड्यूल के माध्यम से जारी हो सकेंगे। स्थायीकरण मॉड्यूल के माध्यम से कार्मिक/अधिकारी शाला दर्पण पोर्टल पर प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है, जिसकी सहायता से आसानी से विभिन्न संबंधित स्तरों से कार्य सम्पादन संभव हो सकेगा :–

आवेदनकर्ता कार्मिक/अधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही :-

1. सर्वप्रथम शाला दर्पण पोर्टल पर स्टॉफ विन्डो के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदनकर्ता अपनी स्टॉफ विंडो लॉगिन कर स्टाफ कॉर्नर टैब में **APPLICATION FOR DEPARTMENTAL SERVICES** का चयन करेंगे जिससे निम्नानुसार विंडो प्रदर्शित होगी।



2. **APPLICATION FOR DEPARTMENTAL SERVICES** में FORM पर विलक्षण करने पर निम्नानुसार विंडो प्रदर्शित होगी :–



3. उक्त प्रदर्शित विंडो में **CONFIRMATION FORM** का चयन करने पर आवेदन का निम्न प्रारूप प्रदर्शित होगा :—

The screenshot shows a confirmation form for a teacher named Sh. Shiv Ratan Jat. The form includes fields for name, gender, subject, date of birth, and other personal details. A photo of the teacher is also displayed.

1. विदेशी का नाम:	Sh. Shiv Ratan Jat	एवंती अर्द्ध वी	RJSR201234011525
2- रुप वर्ष:	Lecturer (G.O.)	विषय:	Hindi Literature
3. नियोजित अधिकारी का चयन करें:	नियोजित सामाजिक विभाग		
4. जन्म का समय कारे:	BIKANER		
5. संस्कृत नाम:	456		
6. पर्याप्त परामर्शदाता:	हाँ - नहीं		
7. जिला का विवर:	BH. KHUJA RAH JAT		
8. पर्याप्त विवर:	06-11-1966		
9. जन्म संस्थान:	9829724762		
10(A)- नियुक्ति पात्र का वार्षिक विवर:	28 May 2018	TODAY:	Select
11. अपारत बाबरत है या नहीं:	हाँ - नहीं		
12. नियुक्ति अधिकारी का विवर:			

उक्त प्रदर्शित फार्म में प्रदर्शित बिंदुओं की जानकारी प्रपत्र 10 से स्वतः ही उपलब्ध होगी उसकी जांच कर ले, यदि कोई जानकारी गलत हो तो पहले अपने प्रपत्र 10 में सुधार कर उपरोक्त प्रक्रिया पुनः दोहराये। कुछ बिन्दुओं की जानकारी आप द्वारा स्वयं इंद्राज की जानी है, जिसमें नियोक्ता अधिकारी व जिले/मण्डल का चयन, भर्ती परीक्षा परिणाम रिवाईज हाँ/ना, परीक्षा परिणाम (प्रोबशनरी अवधि), उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण आदि।

4. फॉर्म की सभी जानकारी इंद्राज करने के बाद सेव बटन का चयन करते हुए आवेदन पत्र का प्रिन्ट लेकर जाँच उपरान्त **SUBMIT** बटन का चयन कर शाला दर्पण में पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त **OTP** डालकर सबमिट करने पर फार्म संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष को आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित हो जायेगा।

संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अपेक्षित कार्यवाही :—

1. संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष के शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन में स्टाफ टैब में **FORM APPROVAL** का चयन करने पर निम्नानुसार विंडो प्रदर्शित होगी:—

The screenshot shows the staff approval section of the ShalaDarpan portal. It displays various reports and data mapping options for staff management.

- Reports: Staff Joining, Staff Leaving, Staff Transfer, Staff Releasing, Teacher Joining, Teacher Leaving, Teacher Transfer, Teacher Data Mapping Report.
- Details: Look Staff Details, Staff Relieving, Staff Transfer, Staff Leaving, Staff Transfer, Staff Leaving, Staff Transfer, Teacher Data Mapping Report.
- Post Summary: Sanction Post Summary, Vacant Staff Posts.
- Other: Teacher Data Mapping.

2. उपरोक्त विंडो में प्रदर्शित विकल्प के अनुसार फार्म में **CONFIRMATION** का चयन व स्टेटस में **PENDING** का चयन करने पर आवेदनकर्ताओं के स्थायीकरण फार्म की सूची प्रदर्शित होगी। एप्लीकेशन आई.डी. पर माउस द्वारा क्लिक करने पर आवेदनकर्ता का


S.No.	Form Name	App Id	Name	Remark	File	Action	Form Entry	Save
1	Confirmation	4	Mr. Ratan Jat		<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen.	Approve		<input checked="" type="checkbox"/>

- फॉर्म प्रदर्शित होगा, जिसका मिलान संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय में उपलब्ध सेवा विवरण (सर्विस रिकार्ड) से करेंगे। यदि फार्म में समस्त विवरण सही पाया जाता है, तो संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को अग्रेषित करने के लिए अनुमोदन (**APPROVE**) विकल्प का चयन करते हुए सेव करेंगे। इससे पूर्व कोई दस्तावेज अपलोड करना हो तो भी किया जा सकता है।
3. यदि कार्मिक/अधिकारी द्वारा प्रेषित फॉर्म में कोई सूचना गलत पायी जाती है अथवा कोई कमी पायी जाती है, तो रिमार्क में कारण लिखते हुए **REJECT** विकल्प का चयन कर सेव करे, जिससे फॉर्म पुनः आवेदनकर्ता के लॉगिन में ब्रुटि सुधार हेतु चला जायेगा।

ब्रुटि सुधार के उपरांत उपर्युक्त प्रक्रिया पुनः अपनायी जानी है।

सीधीईओ कार्यालय द्वारा अपेक्षित कार्यवाही :-

- कार्यालयाध्यक्ष के शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन में प्रबंधन टैब में **APPLICATION FOR DEPARTMENTAL SERVICES** का चयन करने पर निम्नानुसार विंडो प्रदर्शित होगी:-



The screenshot shows a web-based application interface for 'Integrated ShalaDarpan'. At the top, there are multiple tabs and windows open, including 'Integrated ShalaDarpan, Rajasthan' and 'Integrated ShalaDarpan, Rajasthan'. The main window is titled 'Form Approval' under the 'MANAGEMENT' section. It displays a form with fields for 'Form' (set to 'ACP'), 'Status' (set to 'Approve'), 'Date From' (empty), and 'Date To' (empty). A 'Submit' button is visible at the bottom right of the form area.

- उपरोक्त विंडो में प्रदर्शित विकल्प के अनुसार फार्म में **CONFIRMATION** का चयन व स्टेटस में **PENDING** का चयन करने पर आवेदनकर्ताओं के स्थायीकरण फॉर्म की सूची प्रदर्शित होगी। एप्लीकेशन आई.डी. पर माउस द्वारा क्लिक करने पर आवेदनकर्ता का फार्म प्रदर्शित होगा, जिसकी जाँच उपरान्त उच्च स्तर को अग्रेषित करने के लिए अनुमोदन (**APPROVE**) विकल्प का चयन करते हुए सेव करेंगे। इससे पूर्व कोई दस्तावेज अपलोड करना हो तो भी किया जा सकता है।
- यदि संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित फॉर्म में कोई सूचना गलत पायी जाती है अथवा कोई कमी पायी जाती है, तो रिमार्क में कारण लिखते हुए **REJECT** विकल्प का चयन कर सेव करे, जिससे फॉर्म पुनः संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष के लॉगिन में त्रुटि सुधार हेतु चला जायेगा।

त्रुटि सुधार के उपरान्त उपर्युक्त प्रक्रिया पुनः अपनायी जानी है।

आवेदनकर्ता अपने आवेदन की स्थिति अपने स्टॉफ विंडो लॉगिन में **TRACK के विकल्प का चयन करते हुए फॉर्म किस स्तर पर विचारणीय/प्रक्रियावीन है, की जानकारी प्राप्त कर सकता है।**

धन्यवाद